

तत्काल

सं. एन-22/2/2021-पी एंड सी
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

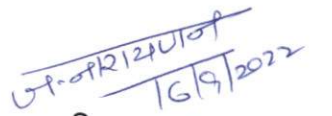
कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में अगस्त, 2022 माह के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश – के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में, उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में अगस्त, 2022 माह के लिए मासिक सारांश (अनुलग्नक) के अवर्गीकृत भाग को सूचनार्थ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त


(जयश्री नारायणन)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन नं. 23384627

प्रति संलग्नकों सहित, ई मेल के माध्यम से अग्रेषित:

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. पीआईबी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5. सचिवगण, भारत सरकार। (सूची के अनुसार)

6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा)।

अनुलग्नक

उपभोक्ता मामले विभाग अगस्त, 2022 माह के लिए मासिक सारांश

अगस्त, 2022 के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

1. उपभोक्ता संरक्षण:

विभाग ने इलेक्ट्रानिक उपकरणों में चार्जिंग पोर्ट में एकरूपता के मुद्दे की जांच के लिए एक केन्द्रीय अंतरमंत्रालयी कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल का नेतृत्व सुश्री निधि खरे, अपर सचिव (उपभोक्ता मामले) द्वारा मंत्रालयों/विभागों, उद्योग संघों और शैक्षणिक संस्थानों के अन्य सदस्यों के सहयोग से किया जा रहा है।

2. मूल्य निगरानी:

- 2.1 तूर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिनांक 12.08.2022 को स्टोक होल्डिंग संस्थाओं और मिल मालिकों, आयातकों, व्यापारियों और स्टॉक रखने वाली संस्थाओं द्वारा तूर के स्टॉक के प्रकटीकरण को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की गई थी।
- 2.2 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2022 को सचिव समिति की एक बैठक हुई थी।
- 2.3 अप्रैल और मई 2022 के दौरान पीएसएफ बफर से खरीदे गए प्याज के स्टॉक की वितरण योजना को अंतिम रूप दिया गया और स्टॉक का

निपटान आरंभ करने के लिए दिनांक 30.08.2022 को नैफेड को सूचित किया गया।

- 2.4 सचिव (उपभोक्ता मामले विभाग) को एग्रीवॉच की साप्ताहिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें पांच दालों (चना, तूर, उड़द, मूंग और मसूर) और तीन सब्जियों (प्याज, आलू और टमाटर) की कीमतों, उत्पादन, उपज, आयात और निर्यात परिदृश्य को शामिल किया गया।
- 2.5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतों के लिए जुलाई, 2022 की तुलना में अगस्त, 2022 के महीने के लिए मूल्य रुझान संलग्न हैं।

3. मूल्य स्थिरीकरण कोष:

- 3.1 दालों (चना आर 20 और 21, तूर के-20 और मूंग के-20) के लिए पीएसएस के कैश क्रेडिट खाते में विभेदी भुगतान के रूप में जारी 47.80 करोड़ रुपये पीएसएस से पीएसएफ को हस्तांतरित किए गए।
- 3.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में, एसएफएसी, फंड मैनेजर, पीएसएफ को पहली किस्त के रूप में 24.50 लाख रुपये जारी किए गए।

4. प्याज बफर स्टॉक:

2022-23 में रबी-2022 की फसल खरीद कर 2.50 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। 2.50 लाख मीट्रिक टन का खरीद लक्ष्य 13.07.2022 को प्राप्त कर लिया गया है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लीन सीज़न (अगस्त-दिसंबर) के दौरान बफर से स्टॉक को लक्षित और कैलिब्रेटेड तरीके से जारी किया जाएगा।

5. भारतीय मानक ब्यूरो:

5.1 अगस्त 2022 माह के दौरान 18 नए मानक बनाए गए हैं और 31 मानकों को संशोधित किया गया है और नए मानकों के निर्माण के लिए 33 प्रस्तावों और मौजूदा मानकों के संशोधन के लिए 91 प्रस्तावों पर विचार किया गया।

5.2 श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और पदेन अध्यक्ष की अध्यक्षता में बीआईएस की शासी परिषद की चौथी बैठक दिनांक 24.08.2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और पदेन उपाध्यक्ष ने भी भाग लिया था।

5.3 देश में जैविक खाद्य परीक्षण अवसंरचना और दुग्ध परीक्षण केन्द्रों के विकास पर चर्चा करने के लिए दिनांक 13.08.2022 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में माननीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बीआईएस द्वारा सत्यापन और परीक्षण, जैविक उत्पादन प्रणाली संबंधी मानक और बीआईएस द्वारा विकसित लेबलिंग विभिन्न डेयरी उत्पादों पर भारतीय मानक के साथ-साथ दुग्ध और अन्य खाद्य उत्पादों में मिलावट की पहचान के लिए परीक्षण विधियों और बीआईएस एकरूपता मूल्यांकन योजना सहित जैविक फूड के लिए देश में विनियामक संरचना के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई थी।

5.4 घरेलू विनिर्माताओं को 428 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए और 22 लाइसेंस विदेशी विनिर्माताओं को दिए गए। इसके अलावा, घरेलू विनिर्माताओं को 2250 लाइसेंस स्वीकृत किए गए और विदेशी विनिर्माताओं के 40 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया।

5.5 लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए और लाइसेंसों के प्रचालन की निगरानी के लिए देश में बीआईएस और ओएसए

द्वारा 539 प्रारंभिक निरीक्षण, 3834 निगरानी निरीक्षण, 525 एलओटी निरीक्षण और 403 अन्य निरीक्षण किए गए। 16 अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस दिए गए। अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत अगस्त 2022 माह में 490 नए लाइसेंस जारी किए गए, 817 समावेशन और 367 नवीनीकरण किए गए इस माह में प्रचालनरत लाइसेंसों की संख्या 19,810 है।

5.6 1291 नए ज्वैलर्स पंजीकृत किए गए हैं, 47 नए एंडएच केंद्र और एक रेफरल लैब को मान्यता प्रदान की गई है। माइक्रोबायोलॉजी और इलेक्ट्रिकल आईएस के अनुसार बीआईएस द्वारा तीन नई निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा, बीआईएस प्रयोगशालाओं द्वारा 09 नियमित लेखापरीक्षा कराई गई है।

5.7 13 नए प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। दिनांक 16.08.2022 मैसर्स बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को नालंदा डेयरी को दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के लिए अखिल भारतीय प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया है; CASMMP प्रलेखन के संबंध में दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के लिए पहली तकनीकी समिति की बैठक बीआईएस अधिकारियों द्वारा 08.08.2022 को आयोजित की गई थी।

6. व्यवसाय सुगमता:

6.1 दिनांक 22.08.2022 को विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 को संशोधित किया गया था, जिसमें परिधान या होजरी उद्योग को, इन वस्तुओं को खुदरा या खुले में बेचने, वस्तुओं के सामान्य / जेनेरिक नाम, निवल मात्रा, यूनिट बिक्री मूल्य, विनिर्माण के महीने और वर्ष और कंज्यूमर केयर नाम और पता की घोषणा करने से छूट दी गई थी। इससे परिधान/होजरी उद्योग का अनुपालन बोझ कम होगा और इस क्षेत्र में व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वे मूल देश, कंज्यूमर केयर ईमेल आईडी और फोन नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने योग्य आकार संकेतकों वाले आकार और अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) के साथ

विनिर्माता/विपणक/ब्रांड मालिक/आयातक का नाम और पता प्रदर्शित करना जारी रखेंगे।

6.2 विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में पैकेज पर अनिवार्य सूचना की घोषणा का प्रावधान है। यह देखा गया है कि विनिर्माता/पैकर/ आयातक वर्तमान में पैकेज के पिछले हिस्से पर मुख्य अवयवों के संघटन की घोषणा कर रहे हैं। एक जानकारीयुक्त विकल्प के लिए उत्पाद के युनिक सेलिंग पॉइंट / यूनिक सेलिंग प्रपोजिसन (यूएसपी) के प्रतिशत / मात्रा वाले दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों की संरचना को पैकेज के सामने की तरफ प्रमुखता से घोषित किया जा सकता है।

इसलिए, उपभोक्ताओं के हित में, कंपनी के ब्रांड का नाम/लोगो के साथ पैकेज के सामने की तरफ कमोडिटी के दो या दो से अधिक प्रमुख घटकों को घोषित करने के मामले में सभी हितधारकों से सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

7. एसीसी निर्देश:

सुश्री रूपा दत्ता के कार्यमुक्त होने के बाद से वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार का पद 17.07.2021 से रिक्त है। इस रिक्ति को पद के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भरा जाना है। अतः विभाग के पास एसीसी का कोई निर्देश लम्बित नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें – पिछले माह का रुझान:

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश भर के 184 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया जाता है तथा जुलाई, 2022 की तुलना में अगस्त , 2022 माह के औसत खुदरा मूल्यों का विवरण निम्नलिखित है:-

आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य (₹/कि.ग्रा.)

क्रम सं.	वस्तु	अगस्त , 2022	जुलाई , 2022	अंतर (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	37	37	0
2	गेहूं	31	30	1
3	आटा	35	34	1
4	चना दाल	73	73	0
5	तूर दाल	109	104	5
6	उड़द दाल	104	104	0
7	मूंग दाल	102	102	0
8	मसूर दाल	97	96	1
9	चीनी	42	42	0
10	दूध (प्रति लीटर)	52	52	0
11	मूंगफली का तेल	190	191	-1
12	सरसों का तेल	181	183	-2
13	वनस्पति	153	159	-6
14	सोया तेल	159	164	-6
15	सूरजमुखी का तेल	182	185	-3
16	पॉम ऑयल	138	142	-4
17	गुड़	49	49	0

18	खुली चाय	282	282	0
19	नमक का पैक	20	20	0
20	आलू	27	26	1
21	प्याज	26	25	1
22	टमाटर	34	39	-5

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग